वित्तीय स्वीकृति

संख्या-16/2016/620/52-3-16-बजट(05)/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 3 मार्च, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2015-16 में अरबी फारसी मदरसा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा के □□□□/□□□□ □□□□□□□ की स्वीकृति (आयोजनेत्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके का पत्र सं0-4385/□0□0□0□□0-52/□□□/□□□-प्रा0वि0/2015-16 दिनांक 19.2.2016 के संबंध में तथा शासन के पत्र स0-1366/52- 3-15-□□□(05)/2015, दिनांक 18.6.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अरबी फारसी बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं के आयोजन □□□□□□ □□ □0-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए रू0 05,00,00,000/-(रू0 पाँच करोड़ मात्र) □ आय व्ययक प्राविधान उपलब्ध है जिसके सापेक्ष शासन के पत्र सं0-1366/52-3-15-□□□(05)/2015, दिनांक 18.6.2015 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 03,00,00,000/-(रू0 तीन करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखी जा चुकी है तथा रू0 02,00,00,000/- (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि अवशेष है। प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि को दृष्टिगत रखते हुये आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 02,00,00,000/-(रू0 दो करोड़ मात्र) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधीन स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

(1) □ि□ि□ि□ि □ि□□□राशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया □ि□ि□ि□ि

(2) उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित □ि□ि□ि□ये किया जायेगा।

(3) चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त प्रयोजनार्थ स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि के विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2016 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सर्वप्रथम मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक के विगत वर्षो व चालू सत्र के पारिश्रमिक तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के पारिश्रमिक की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू शैक्षिक सत्र की परीक्षाओं के □ि□ि□ि□ि/आयोजन पर ही किया जायेगा तथा अस्थायी रूप से किसी भी अन्य मदों पर व्यय वर्तन मान्य नहीं होगा। व्यय का मदवार विवरण वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया □ि□ि□ि□ि

(6) उक्त पर होने वाला व्यय शासन द्वारा -समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) □□□ि□ि□ □ि □ि□ि□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र □□कार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक □ि, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली □ि□ि

1- □□ □ि□ि□ि□ि इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकत□ नहीं □ि□ि

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यर -09-अरबी फारसी बोर्ड-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/□□-1-925/ 10-2015-231/2015 दिनांक 30.3.2015 के प्रस्त -2(14)क में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

संख्या- 620 (1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रार, □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/नि□□□□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यक□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।